FORM N0. III
फर्द अहकाम
(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त मुकाम अजमेर

कस्तूरा बनाम राम कल्याण व अन्य

किस्म मुकदमा /अपील एल0आर0/नं0 102/सन् 2017 टोंक

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री हेमराज गुप्ता एड़0	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.11.2017	यह पत्रावली श्री हेमराज गुप्ता एड़वोकेट ने नायब तहसीलदार, टोंक के नामान्तकरण संख्यपा 161 दिनांक 04.05.2017 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राज.भू–राजस्व अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गयी। अपील की रिपोर्ट के अनुसार अपील न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार की नही होने के अंकन के साथ प्राप्त हुयी। क्षैत्राधिकार पर अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलांट के एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवम् अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति का अवलोकन किया गया। बाद मनन प्रस्तुत आदेश की प्रति का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि उपखण्ड अधिकारी, टोंक की डिक्री की पालना में आदेश क्रमांक 11021 दिनांक 06.12.2016 के विरूद्ध उक्त अपील प्रस्तुत की गयी है। चूँकि यह अपील उपखण्ड अधिकारी, टोंक के डिक्री की पालना में राजस्व अभिलेख में किये गये अंकन के विरूद्ध प्रस्तुत की गई, जो न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नही होनें के कारण, मूल अपील अभिभाषक अपीलांट को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटाई जाती है। आदेश सुनाया गया।	